न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील /टीए/3861/2005/बाड़मेर

1– भाकरराम पुत्र रिडमल राम,
2– रेखाराम पुत्र रिडमल राम,
3– खंगाराराम पुत्र रिडमलराम,
4– आसूराम पुत्र रिडमलराम,
5– सोनाराम पुत्र रिडमलराम,
6– श्रीमती कोयली पत्नि रिडमलराम,
समस्त जाति विश्नोई, निवासी ढाको का गोलिया (कबुली) तहसील गुडामालानी, जिला बाड़मेर ।

...अपीलान्टस

बनाम

1– जगराम पुत्र खेताराम,
2– केहरा राम पुत्र खेताराम,
3– बालूराम पुत्र खेताराम,
4– खेताराम पुत्र काना राम,
5– बागाराम पुत्र कानाराम,
6– सदराम पुत्र निम्बाराम (मृतक) जरिये वारिसानः–
6/1– सुजानाराम पुत्र स्व0 श्री सदराम
7– केशाराम पुत्र निम्बाराम,
8– किशनाराम पुत्र निम्बाराम,
9– श्रीमती हीरा पत्नि निम्बाराम,
10– रामजीवन पुत्र विरधाराम,
11– पेमा राम पुत्र विरधाराम,
12– भागीरथ पुत्र विरधाराम,
13– हनुमान पुत्र विरधाराम,
14– श्रीमती अणची देवी पत्नि विरधाराम (नाम तर्क),
15– बागाराम पुत्र हनुता राम (मृतक) जरिये वारिसानः–
15/1– भंवरी देवी पुत्री बागाराम पत्नि सुखाराम निवासी चैनपुरा विरमानिया की ढाणीय, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर ।
16– हिरकन पुत्र हनुताराम,
17– मानाराम पुत्र काछबाराम (मृतक) जरिये वारिसानः–
17/1– भाकराराम पुत्र मानाराम (मृतक) जरिये वारिसानः–
17/1/1– किशनाराम पुत्र स्व0 श्री भाकराराम,
17/1/2– सोहनराम पुत्र स्व0 श्री भाकराराम,
17/1/3– कालूराम पुत्र स्व0 श्री भाकराराम,
17/1/4– सिंगारी पत्नि स्व0 श्री भाकराराम,
17/2– बीरमाराम पुत्र स्व0 श्री मानाराम,

समस्त जाति विश्नोई, निवासी ढाको का गोलिया (कबुली), तहसील गुडामालानी, जिला बाड़मेर ।

18– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गुडामालानी, जिला बाड़मेर।

...रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड पीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री वीरेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलान्टस

श्री दुनीचन्द, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टस

श्री अखिलेश शर्मा, अभिषाक रेस्पो0 सं0 17/1/1 से 17/2.

निर्णय

दिनांकः– 11.02.2025

यह अपील अपीलान्टस द्वारा अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर द्वारा अपील संख्या 7/2004 में पारित निर्णय दिनांक 07–06–2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3/वादीगण ने विचारण न्यायालय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादीगण के पेतृक खेत मौजा ढाकां का गोलिया (कबूली) में खेत खसरा नंबर 250, 252, 271, 293, 295 क्रमशः रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, 66 बीघा 3 बिस्वा, 8 बीघा 3 बिस्वा, 101 बीघा 1 बिस्वा कुल रकबा 289 बीघा भूमि आई हुई है, जिसमें से खातेदार बरींगा पुत्र दौला का 1/12 हिस्सा भूमि में से 1/2 हिस्सा दिनांक 22.01.1993 को वादीगण ने जरिये बेचान से क्रय किया है, इसके बाद वादीगण ने खातेदार हीरा पुत्र हनुवन्ता का 1/16 हिस्सा यानि 18 बीघा 1 बिस्वा भूमि दिनांक 06.02.1997 को जरिये बेचान क्रय किया तथा क्रयशुदा भूमि पर काबिज काश्त हो गये है । अतः वादीगण को क्रयशुदा भूमि खसरा नंबर 250, 252, 271, 293, 295 कुल रकबा 289 बीघा में बरींगा पुत्र दौला के 1/12 में 1/2 हिस्सा यानि 12 बीघा 1 बिस्वा तथा हीरा पुत्र हनुवन्ता से क्रय 1/16 संपूर्ण हिस्सा यानि 18 बीघा 1 बिस्वा कुल 30 बीघा 2 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बंटवारा की डिक्री पारित की जावे । विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.08.2003 को वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार, गुडामालानी को कमीश्नर नियुक्त कर बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये । बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 31.01.2004 को बंटवारा की अंतिम

डिक्री पारित की । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपीलांट्स/प्रतिवादीगण ने न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06. 2005 के द्वारा खारिज कर दिया । अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट्स ने यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है ।

3– हमनें उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषगण की बहस सुनी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने बहस में कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं अभिलेख के प्रतिकूल होने से अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है । विवादित भूमियों का कुल रकबा 289 बीघा था जिसमें से सह–खातेदार बरिंगा पुत्र ढोला का 1/12 हिस्सा जिसमें से 1/2 हिस्सा यानि 12 बीघा 1 बिस्वा भूमि दिनांक 22.1.01993 को बेचान की गई है । इसी तरह हीरा पुत्र हनुवंता का 1/16 हिस्सा यानि 18 बीघा 1 बिस्वा भूमि दिनांक 06.02.1997 को वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 को बेचान की गई थी । सह–खातेदार विक्रेतागण द्वारा वादीगण को अपने हिस्से का बेचान किया गया है ना कि किसी विशिष्ट हिस्से का बेचान किया गया है । विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित करते समय कुल 5 खसरा नंबरों में से दो खसरा नंबर वादीगण के हिस्से में रखे गये है जबकि विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक खसरे में समान रूप से हक व हिस्सा था । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को वादीगण के हिस्से में प्रत्येक खसरा में से बराबर–बराबर हिस्सा देना चाहिये था किन्तु विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी (राजस्व बोर्ड नियम) के विभाजन नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना नहीं कर वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के हिस्से में विशिष्ट भू–भाग रखकर बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा भी इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलांट्स/प्रतिवादीगण की अपील खारिज करने में त्रुटि कारित की गई है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2005 तथा सहायक कलेक्टर, गुडामालानी द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.01.2004 निरस्त किये जावे तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को उभयपक्ष को सुनकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व बोर्ड नियम) के विभाजन नियम 18 से 21 के प्रावधानों के अनुसरण में बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5– योग्य अधिवक्ता रेस्पो0 ने तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज की संताने है और अपने–अपने हिस्से पर काश्त कर रहे है । वादीगण ने बरीगां व हीरा से भूमि क्रय की थी वे भी इनके रिश्तेदार है । वादगण ने 30 बीघा 2 बिस्वा भूमि क्रय की था। भूमियां मौके पर विभाजित थी । विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को गवाह पेश करने का अवसर दिया गया था किन्तु उन्होंने

गवाह पेश नहीं किये । विचारण न्यायालय ने मौके पर विभाजित हिस्सेनुसार अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जावे ।

6– हमनें योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णय का अवलोकन किया।

7– पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, गुडामालानी के समक्ष खातेदारी उद्घोषणा, बंटवारा का वाद पेश किये जाने पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.08.2003 को निर्णय पारित कर वादीगण का वाद स्वीकार कर बंटवारा की प्राथमिक डिक्री पारित की तथा तहसीलदार, गुडामालानी को कमीश्नर नियुक्त कर वादीगण के उपरोक्तानुसार हिस्से की भूमि का पृथक से विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 08.08.2003 के निर्देशों के क्रम में भू–अभिलेख निरीक्षक, धोरीमन्ना एवं पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 13.01.2004 को फर्द विभाजन तैयार किये गये जिस पर तहसीलदार, गुडामालानी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कर फर्द विभाजन रिपोर्ट विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गई । उक्त फर्द विभाजन रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 31.01.2004 को अंतिम डिक्री पारित की है ।

8– विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द विभाजन दिनांक 13.01.2004 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव भू–अभिलेख निरीक्षक, धोरीमन्ना एवं पटवारी हल्का द्वारा वादीगण जगराम, केहराराम, बालूराम पि0 खेताराम कौम विश्नोई के पक्ष में खसरा नंबर 295/1 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 295/2 रकबा 4 बीघा, खसरा नंबर 293/1 रकबा 12 बीघा तथा खसरा नंबर 293/2 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा कुल रकबा 30 बीघा 2 बिस्वा रखा गया है । जबकि विवादित भूमियां वादीगण के विक्रेतागण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात थी जिसमें प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर बराबर–बराबर हक व अधिकार था । विचाररण न्यायालय द्वारा समस्त सहखातेदारी की आराजियात का बंटवारा नहीं कर केवल मात्र वादीगण द्वारा क्रयशुदा भूमियों का बंटवारा किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । विचारण न्यायालय को विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करते समय पक्षकारान की सहखातेदारी के प्रत्येक खसरा नंबरान की भूमि में से अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का समान रूप से प्रत्येक सहखातेदार के हिस्से में विभाजन किया जाना चाहिये था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है । इस प्रकार विचारण न्यायालय ने राजस्थान टेनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स नियम 1955) के नियम 18 से 21 के विपरीत बंटवारा की अंतिम डिक्री

पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं ठहराया जा सकता है । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज कर अपील खारिज करने में त्रुटि कारित की है जिसे भी विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

9– परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर कैम्प बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2005 एवं सहायक कलेक्टर, गुडामालानी द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 31.01.2004 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण सहायक कलेक्टर, गुडामालानी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर, विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षों को सुनकर राजस्थान टेनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रूल्स नियम 1955) के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के संबंध में बंटवारा की अंतिम डिक्री पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष